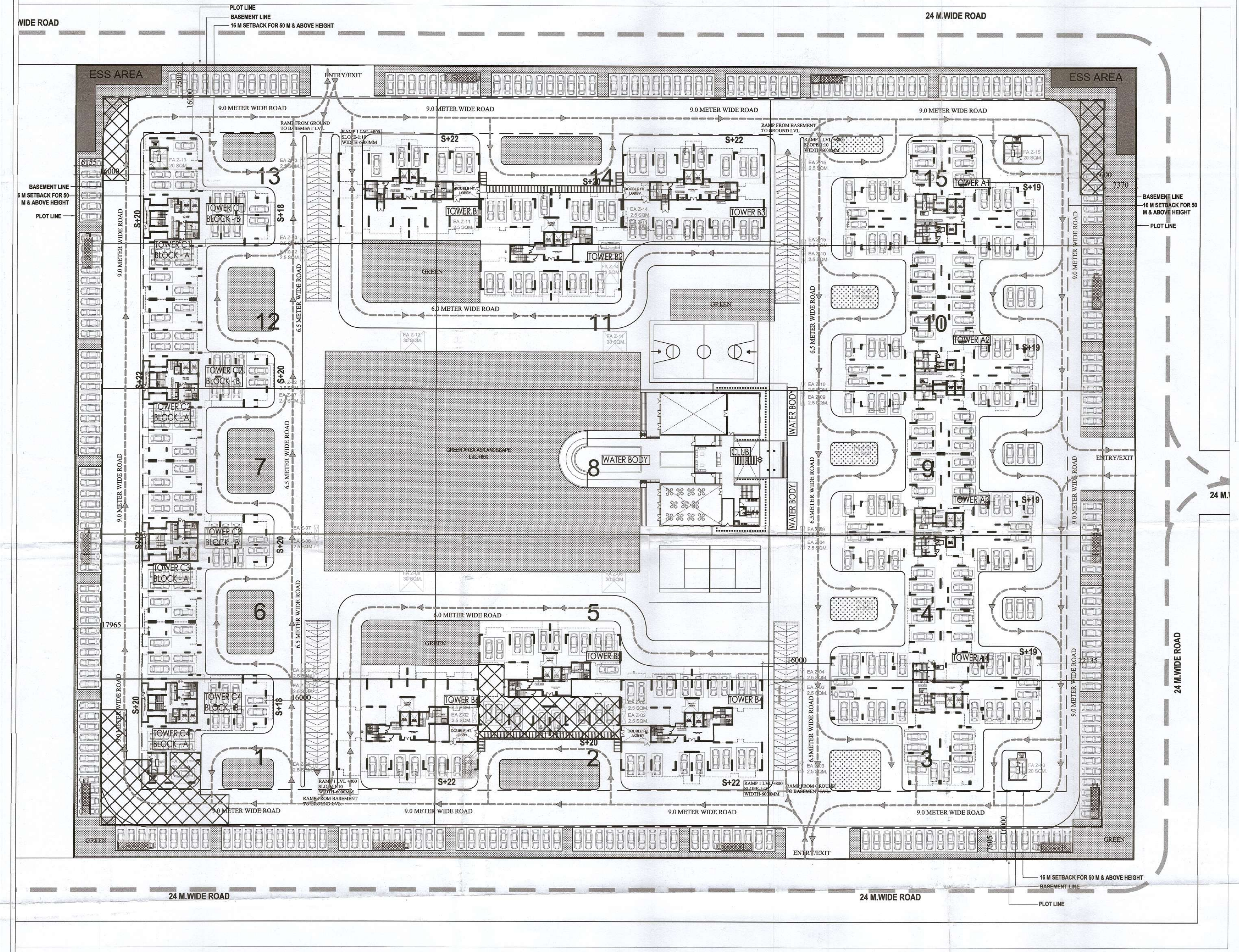

STILT LEVEL PLAN

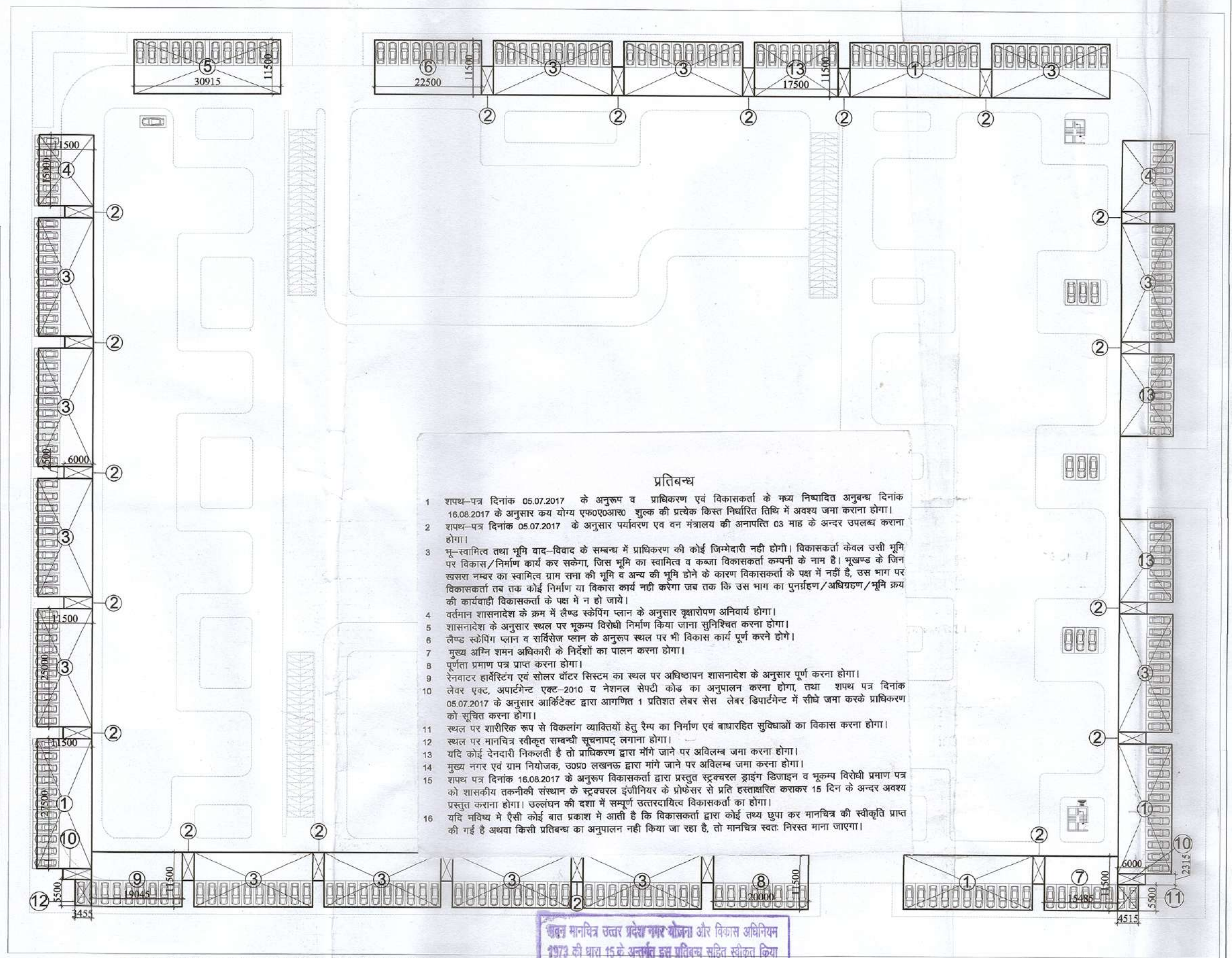

प्रतिबन्ध

1 शपथ–पत्र दिनांक 05.07.2017 के अनुरूप व प्राधिकरण एवं विकासकर्ता के मध्य निष्पादित अनुबन्ध दिनांक 16.08.2017 के अनुसार कय योग्य एफ0ए0आर0 शुल्क की प्रत्येक किस्त निर्धारित तिथि में अवश्य जमा कराना होगा।
2 शपथ–पत्र दिनांक 05.07.2017 के अनुसार पर्यावरण एव वन मंत्रालय की अनापत्ति 03 माह के अन्दर उपलब्ध कराना होगा।
3 भू–स्वामित्व तथा भूमि वाद–विवाद के सम्बन्ध में प्राधिकरण की कोई जिम्मेदारी नही होगी। विकासकर्ता केवल उसी भूमि पर विकास/निर्माण कार्य कर सकेगा, जिस भूमि का स्वामित्व व कब्जा विकासकर्ता कम्पनी के नाम है। भूखण्ड के जिन खसरा नम्बर का स्वामित्व ग्राम सभा की भूमि व अन्य की भूमि होने के कारण विकासकर्ता के पक्ष में नहीं है, उस भाग पर विकासकर्ता तब तक कोई निर्माण या विकास कार्य नही करेगा जब तक कि उस भाग का पुनर्ग्रहण/अधिग्रहण/भूमि क्रय की कार्यवाही विकासकर्ता के पक्ष में न हो जाये।
4 वर्तमान शासनादेश के क्रम में लैण्ड स्केपिंग प्लान के अनुसार वृक्षारोपण अनिवार्य होगा।
5 शासनादेश के अनुसार स्थल पर भूकम्प विरोधी निर्माण किया जाना सुनिश्चित करना होगा।
6 लैण्ड स्केपिंग प्लान व सर्विसेज प्लान के अनुरूप स्थल पर भी विकास कार्य पूर्ण करने होगे।
7 मुख्य अग्नि शमन अधिकारी के निर्देशों का पालन करना होगा।
8 पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
9 रेनवाटर हार्वेस्टिंग एवं सोलर वॉटर सिस्टम का स्थल पर अधिष्ठापन शासनादेश के अनुसार पूर्ण करना होगा।
10 लेवर एक्ट, अपार्टमेन्ट एक्ट–2010 व नेशनल सेफ्टी कोड का अनुपालन करना होगा, तथा शपथ पत्र दिनांक 05.07.2017 के अनुसार आर्किटेक्ट द्वारा आगणित 1 प्रतिशत लेबर सेस लेबर डिपार्टमेन्ट में सीधे जमा करके प्राधिकरण को सूचित करना होगा।
11 स्थल पर शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों हेतु रैम्प का निर्माण एवं बाधारहित सुविधाओं का विकास करना होगा।
12 स्थल पर मानचित्र स्वीकृत सम्बन्धी सूचनापट् लगाना होगा।
13 यदि कोई देनदारी निकलती है तो प्राधिकरण द्वारा मॉंगे जाने पर अविलम्ब जमा करना होगा।
14 मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा मांगे जाने पर अविलम्ब जमा करना होगा।
15 शपथ पत्र दिनांक 16.08.2017 के अनुरूप विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत स्ट्रक्चरल ड्राइंग डिजाइन व भूकम्प विरोधी प्रमाण पत्र को शासकीय तकनीकी संस्थान के स्ट्रक्चरल इंजीनियर के प्रोफेसर से प्रति हस्ताक्षरित कराकर 15 दिन के अन्दर अवश्य प्रस्तुत कराना होगा। उल्लंघन की दशा में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विकासकर्ता का होगा।
16 यदि भविष्य मे ऐसी कोई बात प्रकाश मे आती है कि विकासकर्ता द्वारा कोई तथ्य छुपा कर मानचित्र की स्वीकृति प्राप्त की गई है अथवा किसी प्रतिबन्ध का अनुपालन नही किया जा रहा है, तो मानचित्र स्वतः निरस्त माना जाएगा।

यह मानचित्र उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 के अन्तर्गत इस प्रतिबन्ध सहित स्वीकृत किया जाता है कि विकास प्राधिकरण भूमि विषयक स्वामित्व के लिए विधता बाध्य नहीं है।

OPEN AREA CALCULATION FOR PARKING

कार्यालय विकास प्राधिकरण
स्वीकृत
परमिट संख्या 41815
दिनांक 21-07-2017
स्वीकृत की वैधता दि० 20-07-2022
अधिशासी अभियन्ता

OPEN AREA CALCULATION FOR PARKING					
ADDITIONS					
Sr. No.	Length	Breadth	Nos.	Area	Remarks
1	11.500	27.500	4.000	1265.000	
2	6.000	2.500	20.000	300.000	
3	11.500	25.000	13.000	3737.500	
4	11.500	15.000	2.000	345.000	
5	30.915	11.500	1.000	355.523	
6	22.500	11.500	1.000	258.750	
7	15.485	11.500	1.000	178.078	
8	20.000	11.500	1.000	230.000	
9	19.045	11.500	1.000	219.018	
10	6.000	2.315	2.000	27.780	
11	4.515	5.500	1.000	24.833	
12	3.455	5.500	1.000	19.003	
13	17.500	11.500	3.000	603.750	
TOTAL				7564.233	

PARKING CALCULATION(REQUIRED)					
TOWER	UNIT TYPE	UNIT AREA	NO OF UNITS	CARS REQUIRED/UNIT	TOTALPARKING REQUIRED
TOWER - A1,A2,A3	2B2T	74.63	228.00	1.00	228.00
	3B2T	91.43	228.00	1.00	228.00
TOWER - A4	2B2T	72.51	38.00	1.00	38.00
	3B3T	106.97	76.00	1.25	95.00
	3B3T-SQ	117.09	38.00	1.25	47.50
TOWER - B1, B3	3B3T	111.27	88.00	1.25	110.00
	3B3T-SQ	117.75	88.00	1.25	110.00
TOWER - B4 & B6	3B3T-SQ-A	117.84	132.00	1.25	165.00
	3B3T-SQ-B	125.20	44.00	1.25	55.00
TOWER - B2 & B5	3B3T-SQ-A	117.84	120.00	1.25	150.00
	3B3T-SQ-B	125.20	40.00	1.25	50.00
TOWER -C1, C2, C3, C4	4B4T-SQ-A	158.55	76.00	1.50	114.00
	4B4T-SQ-B	164.65	168.00	1.50	252.00
TOTAL			1364.00		1642.50

PARKING CALCULATION(PROPOSED)		
	AREA	ECS ACHIEVED
OPEN @23 SQM = 1ECS	7564.233	328.88
STILT @ 28 SQM = 1ECS	8394.17	299.79
BASEMENT @ 32 SQM = 1ECS	36454.27	1139.20
TOTAL		1767.87

SUBMISSION DRAWING

NOTES:
1. BUILDING IS DESIGNED(STRUCTURES) AS PER RELEVANT IS CODES FOR EARTH QUAKE RESISTANCE.
2. MECHANICAL VENTILATION SYSTEM PROVIDED AS/NBC IN BASEMENT

PRINCIPLE ARCHITECT

dfi
DESIGN FORUM INTERNATIONAL
K-47 , KAILASH COLONY NEW DELHI-48
PHONE: 011 - 46556600 FAX : 46556601

CONSULTANTS
STRUCTURE - BMSF Design Consultants Pvt. Ltd.
MEP - Consummate Engineering Services Pvt. Ltd.

OWNER'S SIGNATURE | ARCHITECT'S SIGNATURE

OMAXE LIMITED LUCKNOW

Ar. Devendra Pratap Singh CA/2012/57837 B.Arch. A.I.I.A.

संयुक्त निदेशक(फा०)
फायर सर्विस मुख्यालय
उ० प्र०, लखनऊ

PROJECT:

PROPOSED GROUP HOUSING-2 AT KHASRA NO. 439,440,441,442,443 AND PART OFKHASRANO.-153,154,436,438,444,445,446, 448,449,465,466,467 IN OMAXE INTEGRATED TOWNSHIP AT SULTANPUR ROAD LUCKNOW.

AJAY SAHNI
(M. Tech. Structures)
I.I.T., New Delhi
A 531925-1

DRAWING TITLE:

STILT LEVEL PLAN
WITH OPEN AREA CALCULATION
FOR PARKING

SCALE 1:400
DATE 24-08-2016
DWG. NO. 02

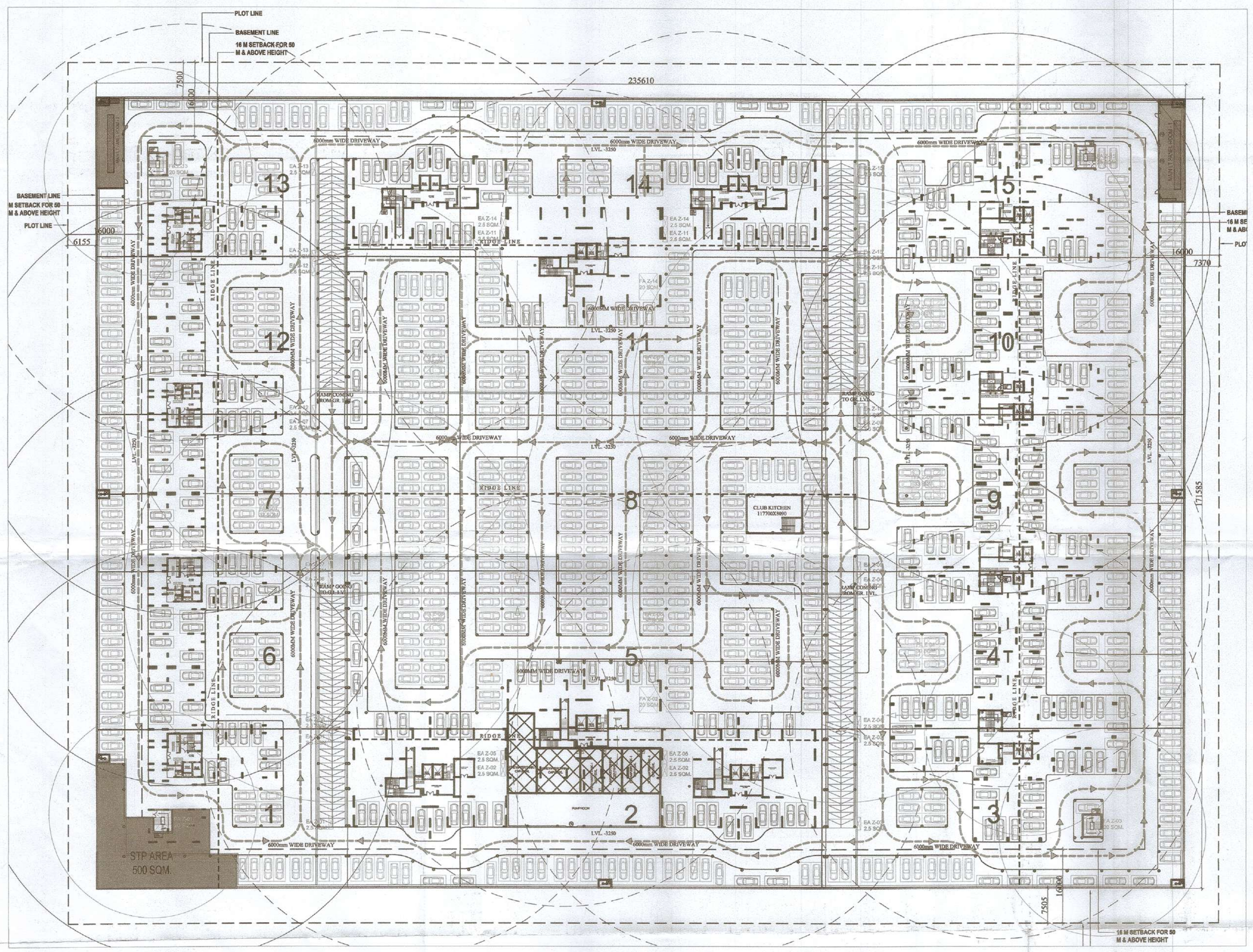

UPPER BASEMENT PLAN

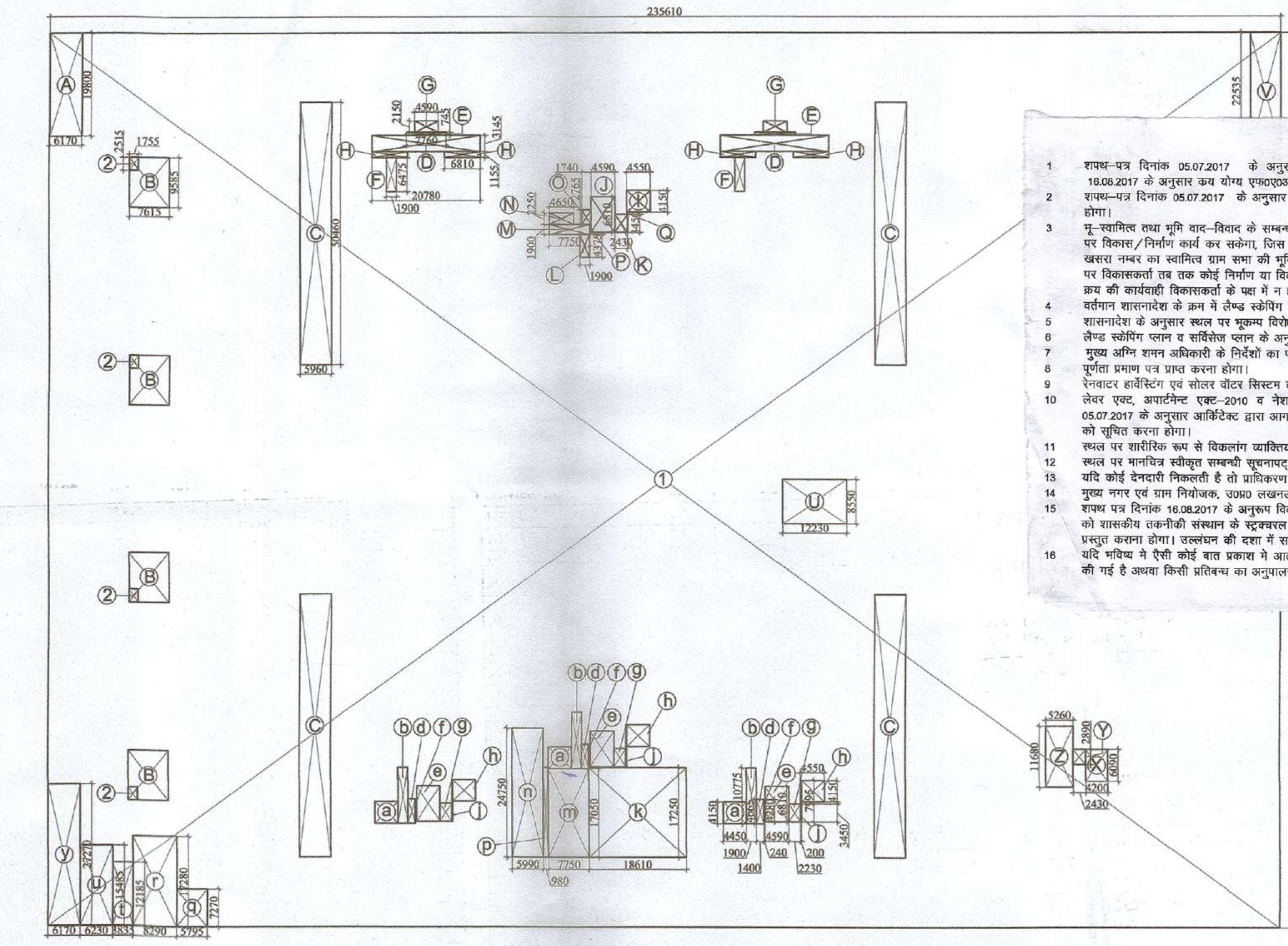

प्रतिबन्ध

1 शपथ–पत्र दिनांक 05.07.2017 के अनुरूप व प्राधिकरण एवं विकासकर्ता के मध्य निष्पादित अनुबन्ध दिनांक 16.08.2017 के अनुसार क्रय योग्य एफ0ए0आर0 शुल्क की प्रत्येक किस्त निर्धारित तिथि में अवश्य जमा कराना होगा।

2 शपथ–पत्र दिनांक 05.07.2017 के अनुसार पर्यावरण एव वन मंत्रालय की अनापत्ति 03 माह के अन्दर उपलब्ध कराना होगा।

3 भू–स्वामित्व तथा भूमि वाद–विवाद के सम्बन्ध में प्राधिकरण की कोई जिम्मेदारी नही होगी। विकासकर्ता केवल उसी भूमि पर विकास/निर्माण कार्य कर सकेगा, जिस भूमि का स्वामित्व व कब्जा विकासकर्ता कम्पनी के नाम है। भूखण्ड के जिन खसरा नम्बर का स्वामित्व ग्राम सभा की भूमि व अन्य की भूमि होने के कारण विकासकर्ता के पक्ष में नहीं है, उस भाग पर विकासकर्ता तब तक कोई निर्माण या विकास कार्य नही करेगा जब तक कि उस भाग का पुनर्ग्रहण/अधिग्रहण/भूमि क्रय की कार्यवाही विकासकर्ता के पक्ष में न हो जाये।

4 वर्तमान शासनादेश के क्रम में लैण्ड स्केपिंग प्लान के अनुसार वृक्षारोपण अनिवार्य होगा।

5 शासनादेश के अनुसार स्थल पर भूकम्प विरोधी निर्माण किया जाना सुनिश्चित करना होगा।

6 लैण्ड स्केपिंग प्लान व सर्विसेज प्लान के अनुरूप स्थल पर भी विकास कार्य पूर्ण करने होगे।

7 मुख्य अग्नि शमन अधिकारी के निर्देशों का पालन करना होगा।

8 पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

9 रेनवाटर हार्वेस्टिंग एवं सोलर वॉटर सिस्टम का स्थल पर अधिष्ठापन शासनादेश के अनुसार पूर्ण करना होगा।

10 लेवर एक्ट, अपार्टमेन्ट एक्ट–2010 व नेशनल सेफ्टी कोड का अनुपालन करना होगा, तथा शपथ पत्र दिनांक 05.07.2017 के अनुसार आर्किटेक्ट द्वारा आगणित 1 प्रतिशत लेबर सेस लेबर डिपार्टमेन्ट में सीधे जमा करके प्राधिकरण को सूचित करना होगा।

11 स्थल पर शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों हेतु रैम्प का निर्माण एवं बाधारहित सुविधाओं का विकास करना होगा।

12 स्थल पर मानचित्र स्वीकृत सम्बन्धी सूचनापट् लगाना होगा।

13 यदि कोई देनदारी निकलती है तो प्राधिकरण द्वारा मॉगे जाने पर अविलम्ब जमा करना होगा।

14 मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा मांगे जाने पर अविलम्ब जमा करना होगा।

15 शपथ पत्र दिनांक 16.08.2017 के अनुरूप विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत स्ट्रक्चरल ड्राइंग डिजाइन व भूकम्प विरोधी प्रमाण पत्र को शासकीय तकनीकी संस्थान के स्ट्रक्चरल इंजीनियर के प्रोफेसर से प्रति हस्ताक्षरित कराकर 15 दिन के अन्दर अवश्य प्रस्तुत कराना होगा। उल्लंघन की दशा में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विकासकर्ता का होगा।

16 यदि भविष्य मे ऐसी कोई बात प्रकाश मे आती है कि विकासकर्ता द्वारा कोई तथ्य छुपा कर मानचित्र की स्वीकृति प्राप्त की गई है अथवा किसी प्रतिबन्ध का अनुपालन नही किया जा रहा है, तो मानचित्र स्वतः निरस्त माना जाएगा।

यह मानचित्र उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 के अन्तर्गत इस प्रतिबन्ध सहित स्वीकृत किया जाता है कि विकास प्राधिकरण भूमि विषयक स्वामित्व के लिए विधिता बाध्य नहीं है।

कार्यालय विकास प्राधिकरण, विकास क्षेत्र, लखनऊ
स्वीकृत
पारित संख्या 41815
दिनांक 21-07-2017
स्वीकृत की वैधता दि० 20-07-2022

AREA CALCULATION OF UPPER BASEMENT

AREA CALCULATION FOR BASEMENT					
BASEMENT					
ADDITIONS					
Sr. No.	Length	Breadth	Nos.	Area	Remarks
1	235.610	171.585	1.000	40427.142	
2	1.725	1.430	4.000	9.867	
TOTAL				40437.009	
DEDUCTIONS					
Sr. No.	Length	Breadth	Nos.	Area	Remarks
A	6.170	19.800	1.000	122.166	
B	7.615	9.585	4.000	291.959	
C	5.960	50.460	4.000	1202.966	
D	20.780	3.145	2.000	130.706	
E	7.760	0.745	2.000	11.562	
F	1.900	6.475	2.000	24.605	
G	4.590	2.150	2.000	19.737	
H	6.810	1.155	4.000	31.462	
I	4.550	4.150	1.000	18.883	
J	4.590	6.810	1.000	31.258	
K	2.430	3.450	1.000	8.384	
L	1.900	4.375	1.000	8.313	
M	7.750	1.900	1.000	14.725	
N	4.650	2.250	1.000	10.463	
O	1.740	2.765	1.000	4.811	
P	0.240	1.515	1.000	0.364	
Q	0.200	0.395	1.000	0.079	
R	2.270	2.315	3.000	15.765	
S	4.155	2.400	3.000	29.916	
T	6.615	3.675	3.000	72.930	
U	12.230	8.550	1.000	104.567	
V	5.845	22.535	1.000	131.717	
W	5.030	11.690	3.000	176.402	
X	4.200	6.090	1.000	25.578	
Y	2.430	2.890	1.000	7.023	
Z	5.260	11.680	1.000	61.437	
a	4.450	4.150	3.000	55.403	
b	1.900	10.775	3.000	61.418	
d	1.400	4.665	3.000	19.593	
e	4.590	6.810	3.000	93.774	
f	0.240	4.280	3.000	3.082	
g	2.230	3.450	3.000	23.081	
h	4.550	4.150	3.000	56.648	
j	0.200	7.995	3.000	4.797	
k	18.610	17.250	1.000	321.023	
m	7.750	17.050	1.000	132.138	
n	5.990	24.750	1.000	148.253	
p	0.980	17.050	1.000	16.709	
q	5.795	7.270	1.000	42.130	
r	8.290	17.280	1.000	143.251	
t	3.835	12.185	1.000	46.729	
u	6.230	15.485	1.000	96.472	
y	6.170	27.270	1.000	168.256	
TOTAL				3990.529	
TOTAL UPPER BASEMENT AREA = (ADDITIONS - DEDUCTIONS)					36446.480

PARKING CALCULATION(REQUIRED)					
TOWER	UNIT TYPE	UNIT AREA	NO OF UNITS	CARS REQUIRED/UNIT	TOTALPARKING REQUIRED
TOWER - A1,A2,A3	2B2T	74.63	228.00	1.00	228.00
	3B2T	91.43	228.00	1.00	228.00
TOWER - A4	2B2T	72.51	38.00	1.00	38.00
	3B3T	106.97	76.00	1.25	95.00
	3B3T-SQ	117.09	38.00	1.25	47.50
TOWER - B1, B3	3B3T	111.27	88.00	1.25	110.00
	3B3T-SQ	117.75	88.00	1.25	110.00
TOWER - B4 & B6	3B3T-SQ-A	117.84	132.00	1.25	165.00
	3B3T-SQ-B	125.20	44.00	1.25	55.00
TOWER - B2 & B5	3B3T-SQ-A	117.84	117.00	1.25	146.25
	3B3T-SQ-B	125.20	39.00	1.25	48.75
TOWER -C1, C2, C3, C4	4B4T-SQ-A	158.55	76.00	1.50	114.00
	4B4T-SQ-B	164.65	164.00	1.50	246.00
TOTAL			1356.00		1631.50

PARKING CALCULATION(PROPOSED)		
	AREA	ECS ACHIEVED
OPEN @23 SQM = 1ECS	9852.713	428.38
STILT @ 28 SQM = 1ECS	7249.51	258.91
BASEMENT @ 32 SQM = 1ECS	36446.48	1138.95
TOTAL		1826.24

PROPOSED NO. OF UNITS			
TOWER	NO. OF. FLOORS	UNITS PER FLOOR	TOTAL UNITS IN TOWER
TOWER A1	19	8.00	152.00
TOWER A2	19	8.00	152.00
TOWER A3	19	8.00	152.00
TOWER A4	19	8.00	152.00
TOWER B1	22	4.00	88.00
TOWER B2	20	4.00	78.00
TOWER B3	22	4.00	88.00
TOWER B4	22	4.00	88.00
TOWER B5	20	4.00	78.00
TOWER B6	22	4.00	88.00
TOWER C1 - Block A	20	2.00	40.00
TOWER C1 - Block B	18	1.00	17.00
TOWER C2 - Block A	22	2.00	44.00
TOWER C2 - Block B	20	1.00	19.00
TOWER C3 - Block A	22	2.00	44.00
TOWER C3 - Block B	20	1.00	19.00
TOWER C4 - Block A	20	2.00	40.00
TOWER C4 - Block B	18	1.00	17.00
GRAND TOTAL			1356.00

SUBMISSION DRAWING

NOTES:

1. BUILDING IS DESIGNED(STRUCTURES) AS PER RELEVANT IS CODES FOR EARTH QUAKE RESISTANCE.
2. MECHANICAL VENTILATION SYSTEM PROVIDED AS/NBC IN BASEMENT

PRINCIPLE ARCHITECT

dfi
DESIGN FORUM INTERNATIONAL
K-47 , KAILASH COLONY NEW DELHI-48
PHONE: 011 - 46556600 FAX : 46556601

CONSULTANTS
STRUCTURE - BMSF Design Consultants Pvt. Ltd.
MEP - Consummate Engineering Services Pvt. Ltd.

OWNER'S SIGNATURE — OMAXE LIMITED LUCKNOW

ARCHITECT'S SIGNATURE — Ar. Devendra Pratap Singh, CA/2012/57857, B.Arch. A.I.I.A.

PROJECT:

PROPOSED GROUP HOUSING-2 AT KHASRA NO. 439,440,441,442,443 AND PART OFKHASRANO.-153,154,436,438,444,445,446, 448,449,465,466,467 IN OMAXE INTEGRATED TOWNSHIP AT SULTANPUR ROAD, LUCKNOW.

AJAY SAHNI (M. Tech. Structures) I.I.T., New Delhi A 531925-1

DRAWING TITLE:

BASEMENT PLAN WITH AREA CALCULATION

SCALE 1:400

DATE 24-08-2016

DWG. NO. 03

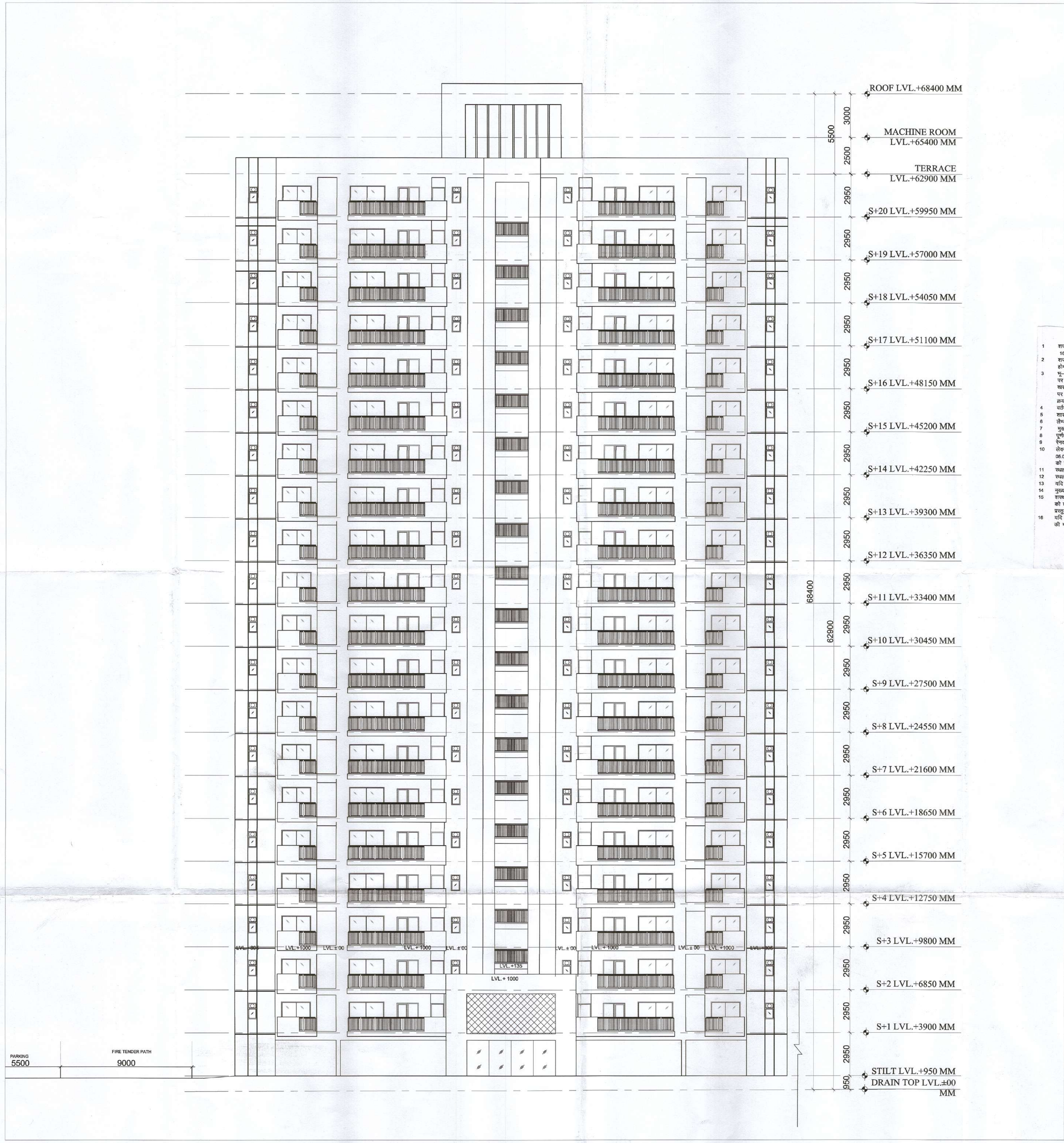

ELEVATION-1
Scale: 1:150

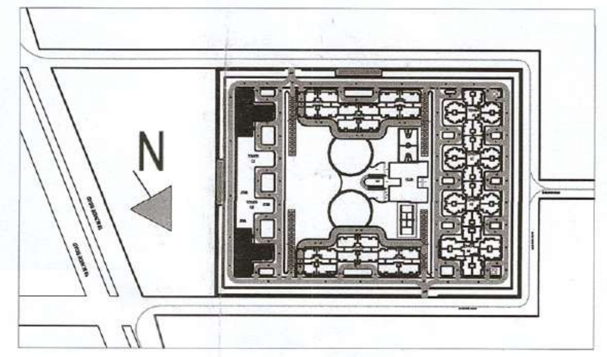

SITE PLAN

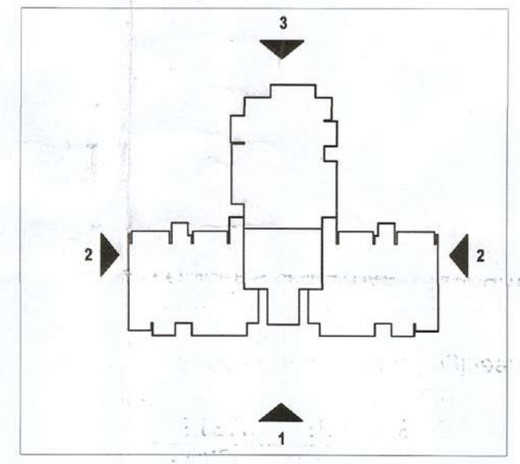

KEY PLAN

प्रतिबन्ध

1 शपथ–पत्र दिनांक 05.07.2017 के अनुरूप व प्राधिकरण एवं विकासकर्ता के मध्य निष्पादित अनुबन्ध दिनांक 16.08.2017 के अनुसार कय योग्य एफ0ए0आर0 शुल्क की प्रत्येक किस्त निर्धारित तिथि में अवश्य जमा कराना होगा।
2 शपथ–पत्र दिनांक 05.07.2017 के अनुसार पर्यावरण एव वन मंत्रालय की अनापत्ति 03 माह के अन्दर उपलब्ध कराना होगा।
3 भू–स्वामित्व तथा भूमि वाद–विवाद के सम्बन्ध में प्राधिकरण की कोई जिम्मेदारी नही होगी। विकासकर्ता केवल उसी भूमि पर विकास/निर्माण कार्य कर सकेगा, जिस भूमि का स्वामित्व व कब्जा विकासकर्ता कम्पनी के नाम है। भूखण्ड के जिन खसरा नम्बर का स्वामित्व ग्राम सभा की भूमि व अन्य की भूमि होने के कारण विकासकर्ता के पक्ष में नहीं है, उस भाग पर विकासकर्ता तब तक कोई निर्माण या विकास कार्य नही करेगा जब तक कि उस भाग का पुनर्ग्रहण/अधिग्रहण/भूमि क्रय की कार्यवाही विकासकर्ता के पक्ष में न हो जाये।
4 वर्तमान शासनादेश के क्रम में लैण्ड स्केपिंग प्लान के अनुसार वृक्षारोपण अनिवार्य होगा।
5 शासनादेश के अनुसार स्थल पर भूकम्प विरोधी निर्माण किया जाना सुनिश्चित करना होगा।
6 लैण्ड स्केपिंग प्लान व सर्विसेज प्लान के अनुरूप स्थल पर भी विकास कार्य पूर्ण करने होगे।
7 मुख्य अग्नि शमन अधिकारी के निर्देशों का पालन करना होगा।
8 पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
9 रैनवाटर हार्वेस्टिंग एवं सोलर वॉटर सिस्टम का स्थल पर अधिष्ठापन शासनादेश के अनुसार पूर्ण करना होगा।
10 लेवर एक्ट, अपार्टमेन्ट एक्ट–2010 व नेशनल सेफ्टी कोड का अनुपालन करना होगा, तथा शपथ पत्र दिनांक 05.07.2017 के अनुसार आर्किटेक्ट द्वारा आगणित 1 प्रतिशत लेवर सेस लेबर डिपार्टमेन्ट में सीधे जमा करके प्राधिकरण को सूचित करना होगा।
11 स्थल पर शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों हेतु रैम्प का निर्माण एवं बाधारहित सुविधाओं का विकास करना होगा।
12 स्थल पर मानचित्र स्वीकृत सम्बन्धी सूचनापट् लगाना होगा।
13 यदि कोई देनदारी निकलती है तो प्राधिकरण द्वारा मॉगे जाने पर अविलम्ब जमा करना होगा।
14 मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा मांगे जाने पर अविलम्ब जमा करना होगा।
15 शपथ पत्र दिनांक 16.08.2017 के अनुरूप विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत स्ट्रक्चरल ड्राइंग डिजाइन व भूकम्प विरोधी प्रमाण पत्र को शासकीय तकनीकी संस्थान के स्ट्रक्चरल इंजीनियर के प्रोफेसर से प्रति हस्ताक्षरित कराकर 15 दिन के अन्दर अवश्य प्रस्तुत कराना होगा। उल्लंघन की दशा में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विकासकर्ता का होगा।
16 यदि भविष्य मे ऐसी कोई बात प्रकाश मे आती है कि विकासकर्ता द्वारा कोई तथ्य छुपा कर मानचित्र की स्वीकृति प्राप्त की गई है अथवा किसी प्रतिबन्ध का अनुपालन नही किया जा रहा है, तो मानचित्र स्वतः निरस्त माना जाएगा।

भवन मानचित्र उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 के अन्तर्गत इस प्रतिबन्ध सहित स्वीकृत किया जाता है कि विकास प्राधिकरण भूमि विषयक स्वामित्व के लिए विधता बाध्य नहीं है।

कार्यालय विकास प्राधिकरण
स्वीकृत
परमिट संख्या 41815-
दिनांक 21-07-2017
स्वीकृत की वैधता तिथि 20-07-2022
विकास क्षेत्र, लखनऊ

SUBMISSION DRAWING

NOTES:
1. BUILDING IS DESIGNED(STRUCTURES) AS PER RELEVANT IS CODES FOR EARTH QUAKE RESISTANCE.
2. MECHANICAL VENTILATION SYSTEM PROVIDED AS/NBC IN BASEMENT

PRINCIPLE ARCHITECT

dfi
DESIGN FORUM INTERNATIONAL
K-47 , KAILASH COLONY NEW DELHI-48
PHONE: 011 - 46556600 FAX : 46556601

CONSULTANTS
STRUCTURE - BMSF Design Consultants Pvt. Ltd.
MEP - Consummate Engineering Services Pvt. Ltd.

OWNER'S SIGNATURE	ARCHITECT'S SIGNATURE
OMAXE LIMITED LUCKNOW	

PROJECT:
PROPOSED GROUP HOUSING-2 AT KHASRA NO. 439,440,441,442,443 AND PART OFKHASRANO.-153,154,436,438,444,445,446, 448,449,465,466,467 IN OMAXE INTEGRATED TOWNSHIP AT SULTANPUR ROAD, LUCKNOW.

AJAY SAHNI
(M. Tech. Structures)
I.I.T., New Delhi
A 531925-1

DRAWING TITLE:
TOWER-C1& C4
ELEVATION 1

SCALE 1:150	DWG. NO.
DATE 23-08-2016	21

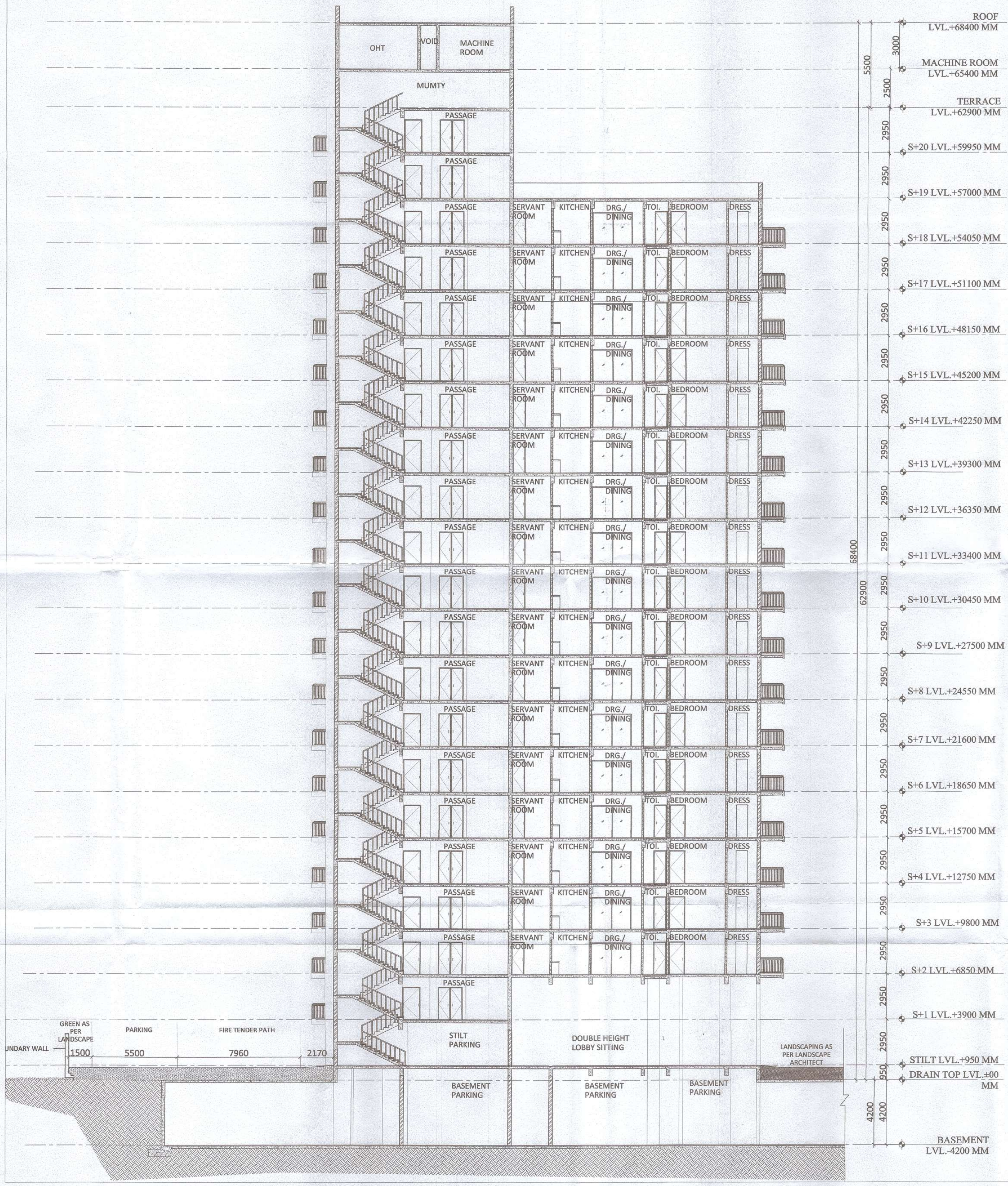

SECTION YY
Scale: 1:150

प्रतिबन्ध

1 शपथ–पत्र दिनांक 05.07.2017 के अनुरूप व प्राधिकरण एवं विकासकर्ता के मध्य निषादित अनुबन्ध दिनांक 16.08.2017 के अनुसार कय योग्य एफ0ए0आर0 शुल्क की प्रत्येक किस्त निर्धारित तिथि में अवश्य जमा कराना होगा।

2 शपथ–पत्र दिनांक 05.07.2017 के अनुसार पर्यावरण एव वन मंत्रालय की अनापत्ति 03 माह के अन्दर उपलब्ध कराना होगा।

3 भू–स्वामित्व तथा भूमि वाद–विवाद के सम्बन्ध में प्राधिकरण की कोई जिम्मेदारी नही होगी। विकासकर्ता केवल उसी भूमि पर विकास/निर्माण कार्य कर सकेगा, जिस भूमि का स्वामित्व व कब्जा विकासकर्ता कम्पनी के नाम है। भूखण्ड के जिन खसरा नम्बर का स्वामित्व ग्राम सभा की भूमि व अन्य की भूमि होने के कारण विकासकर्ता के पक्ष में नहीं है, उस भाग पर विकासकर्ता तब तक कोई निर्माण या विकास कार्य नही करेगा जब तक कि उस भाग का पुनर्ग्रहण/अधिग्रहण/भूमि क्रय की कार्यवाही विकासकर्ता के पक्ष में न हो जाये।

4 वर्तमान शासनादेश के क्रम में लैण्ड स्केपिंग प्लान के अनुसार वृक्षारोपण अनिवार्य होगा।

5 शासनादेश के अनुसार स्थल पर भूकम्प विरोधी निर्माण किया जाना सुनिश्चित करना होगा।

6 लैण्ड स्केपिंग प्लान व सर्विसेज प्लान के अनुरूप स्थल पर भी विकास कार्य पूर्ण करने होगे।

7 मुख्य अग्नि शमन अधिकारी के निर्देशों का पालन करना होगा।

8 पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

9 रैनवाटर हार्वेस्टिंग एवं सोलर वॉटर सिस्टम का स्थल पर अधिष्ठापन शासनादेश के अनुसार पूर्ण करना होगा।

10 लेवर एक्ट, अपार्टमेन्ट एक्ट–2010 व नेशनल सेफ्टी कोड का अनुपालन करना होगा, तथा शपथ पत्र दिनांक 05.07.2017 के अनुसार आर्किटेक्ट द्वारा आगणित 1 प्रतिशत लेबर सेस लेबर डिपार्टमेन्ट में सीधे जमा करके प्राधिकरण को सूचित करना होगा।

11 स्थल पर शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों हेतु रैम्प का निर्माण एवं बाधारहित सुविधाओं का विकास करना होगा।

12 स्थल पर मानचित्र स्वीकृत सम्बन्धी सूचनापट् लगाना होगा।

13 यदि कोई देनदारी निकलती है तो प्राधिकरण द्वारा मॉगे जाने पर अविलम्ब जमा करना होगा।

14 मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा मांगे जाने पर अविलम्ब जमा करना होगा।

15 शपथ पत्र दिनांक 16.08.2017 के अनुरूप विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत स्ट्रक्चरल ड्राइंग डिजाइन व भूकम्प विरोधी प्रमाण पत्र को शासकीय तकनीकी संस्थान के स्ट्रक्चरल इंजीनियर के प्रोफेसर से प्रति हस्ताक्षरित कराकर 15 दिन के अन्दर अवश्य प्रस्तुत कराना होगा। उल्लंघन की दशा में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विकासकर्ता का होगा।

16 यदि भविष्य मे ऐसी कोई बात प्रकाश मे आती है कि विकासकर्ता द्वारा कोई तथ्य छुपा कर मानचित्र की स्वीकृति प्राप्त की गई है अथवा किसी प्रतिबन्ध का अनुपालन नही किया जा रहा है, तो मानचित्र स्वतः निरस्त माना जाएगा।

भवन मानचित्र उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 के अन्तर्गत इस प्रतिबन्ध सहित स्वीकृत किया जाता है कि विकास प्राधिकरण भूमि विषयक स्वामित्व के लिए विधतः बाध्य नहीं है।

कार्यालय विकास प्राधिकरण
स्वीकृत
परमिट संख्या 41815
दिनांक 21-07-2017
स्वीकृत की वैधता दि० 20-07-2022
अधिकृत
विकास क्षेत्र, लखनऊ

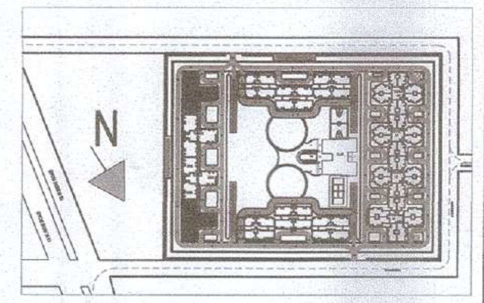

SITE PLAN

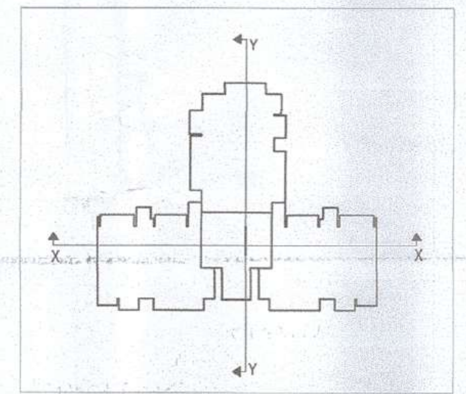

KEY PLAN

SUBMISSION DRAWING

NOTES:
1. BUILDING IS DESIGNED(STRUCTURES) AS PER RELEVANT IS CODES FOR EARTH QUAKE RESISTANCE.
2. MECHANICAL VENTILATION SYSTEM PROVIDED AS/NBC IN BASEMENT

PRINCIPLE ARCHITECT

dfi
DESIGN FORUM INTERNATIONAL
K-47 , KAILASH COLONY NEW DELHI-48
PHONE: 011 - 46556600 FAX : 46556601

CONSULTANTS
STRUCTURE - BMSF Design Consultants Pvt. Ltd.
MEP - Consummate Engineering Services Pvt. Ltd.

OWNER'S SIGNATURE	ARCHITECT'S SIGNATURE
OMAXE LIMITED LUCKNOW	Ar. Devendra Pratap Singh CA/2012/57357 B.Arch. A.I.I.A.

PROJECT:
PROPOSED GROUP HOUSING-2 AT KHASRA NO. 439,440,441,442,443 AND PART OFKHASRANO.-153,154,436,438,444,445,446, 448,449,465,466,467 IN OMAXE INTEGRATED TOWNSHIP AT SULTANPUR ROAD, LUCKNOW.

AJAY SAHNI
(M. Tech. Structures)
I.I.T., New Delhi
A 531925-1

DRAWING TITLE:
TOWER- C1 & C4
SECTIONS - YY

SCALE 1:150	DWG. NO.
DATE 24-08-2016	15

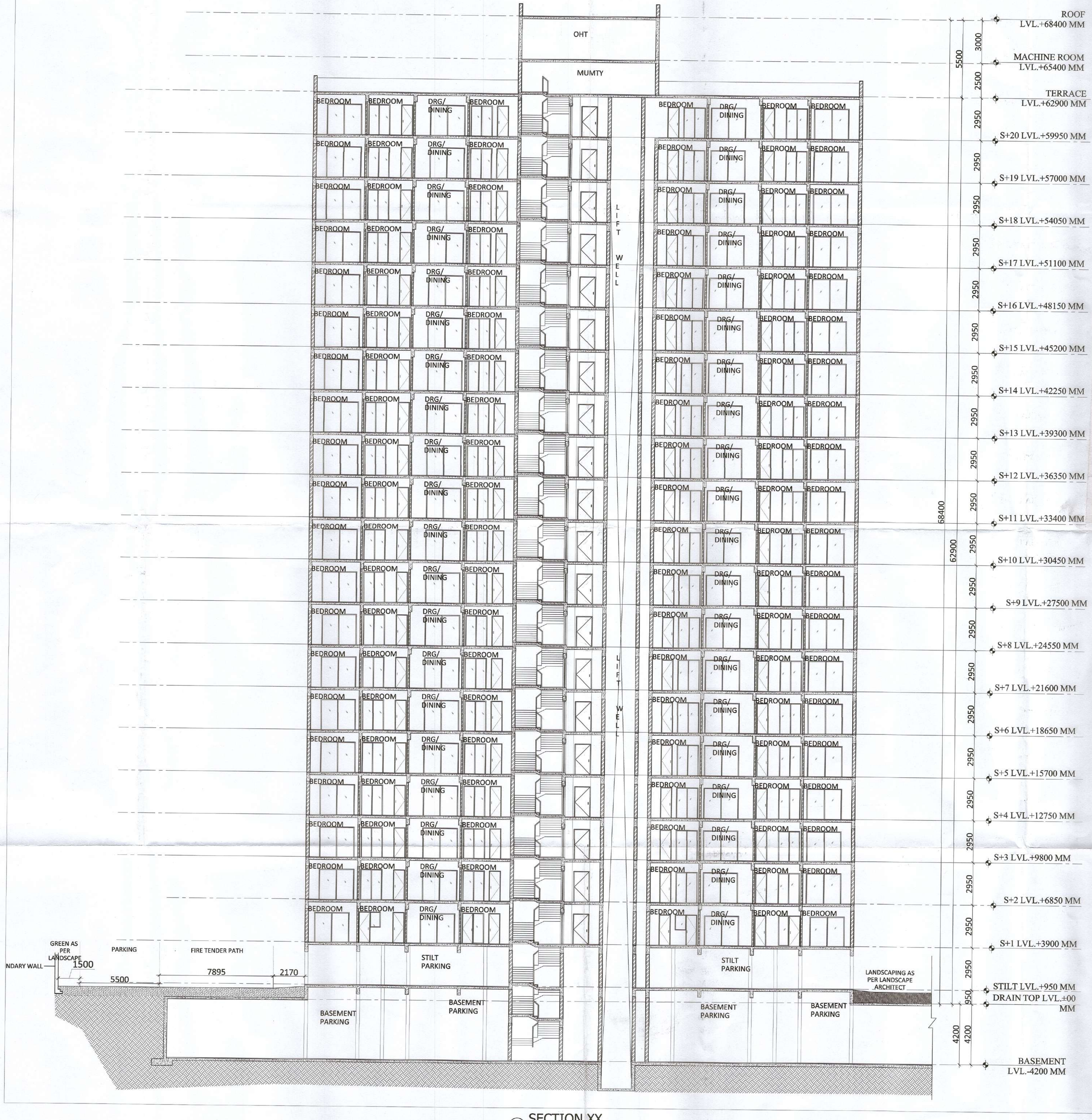

SECTION XX
Scale: 1:150

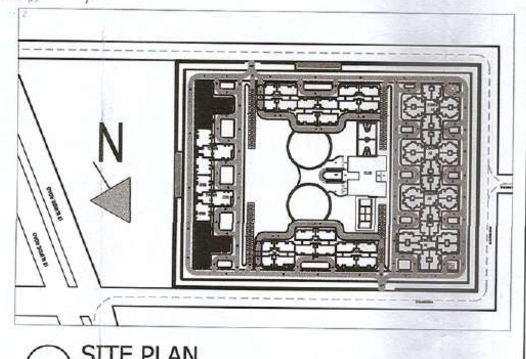

SITE PLAN

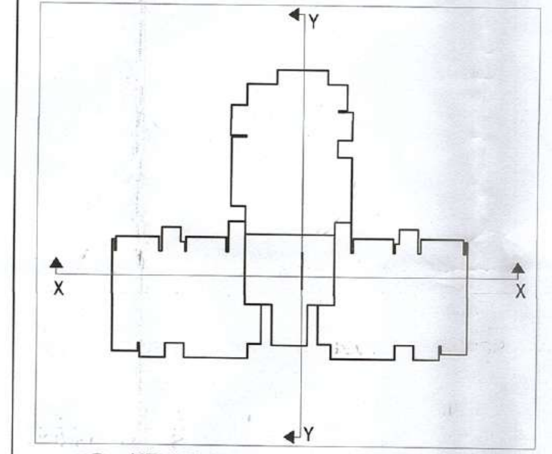

KEY PLAN

प्रतिबन्ध

1 शपथ–पत्र दिनांक 05.07.2017 के अनुरूप व प्राधिकरण एवं विकासकर्ता के मध्य निष्पादित अनुबन्ध दिनांक 16.08.2017 के अनुसार क्रय योग्य एफ०ए०आर० शुल्क की प्रत्येक किस्त निर्धारित तिथि में अवश्य जमा कराना होगा।
2 शपथ–पत्र दिनांक 05.07.2017 के अनुसार पर्यावरण एव वन मंत्रालय की अनापत्ति 03 माह के अन्दर उपलब्ध कराना होगा।
3 भू–स्वामित्व तथा भूमि वाद–विवाद के सम्बन्ध में प्राधिकरण की कोई जिम्मेदारी नही होगी। विकासकर्ता केवल उसी भूमि पर विकास/निर्माण कार्य कर सकेगा, जिस भूमि का स्वामित्व व कब्जा विकासकर्ता कम्पनी के नाम है। भूखण्ड के जिन खसरा नम्बर का स्वामित्व ग्राम सभा की भूमि व अन्य की भूमि होने के कारण विकासकर्ता के पक्ष में नहीं है, उस भाग पर विकासकर्ता तब तक कोई निर्माण या विकास कार्य नही करेगा जब तक कि उस भाग का पुनर्ग्रहण/अधिग्रहण/भूमि क्रय की कार्यवाही विकासकर्ता के पक्ष में न हो जाये।
4 वर्तमान शासनादेश के क्रम में लैण्ड स्केपिंग प्लान के अनुसार वृक्षारोपण अनिवार्य होगा।
5 शासनादेश के अनुसार स्थल पर भूकम्प विरोधी निर्माण किया जाना सुनिश्चित करना होगा।
6 लैण्ड स्केपिंग प्लान व सर्विसेज प्लान के अनुरूप स्थल पर भी विकास कार्य पूर्ण करने होगे।
7 मुख्य अग्नि शमन अधिकारी के निर्देशों का पालन करना होगा।
8 पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
9 रेनवाटर हार्वेस्टिंग एवं सोलर वॉटर सिस्टम का स्थल पर अधिष्ठापन शासनादेश के अनुसार पूर्ण करना होगा।
10 लेवर एक्ट, अपार्टमेन्ट एक्ट–2010 व नेशनल सेफ्टी कोड का अनुपालन करना होगा, तथा शपथ पत्र दिनांक 05.07.2017 के अनुसार आर्किटेक्ट द्वारा आगणित 1 प्रतिशत लेबर सेस लेबर डिपार्टमेन्ट में सीधे जमा करके प्राधिकरण को सूचित करना होगा।
11 स्थल पर शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों हेतु रैम्प का निर्माण एवं बाधारहित सुविधाओं का विकास करना होगा।
12 स्थल पर मानचित्र स्वीकृत सम्बन्धी सूचनापट् लगाना होगा।
13 यदि कोई देनदारी निकलती है तो प्राधिकरण द्वारा मॉगे जाने पर अविलम्ब जमा करना होगा।
14 मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ०प्र० लखनऊ द्वारा मांगे जाने पर अविलम्ब जमा करना होगा।
15 शपथ पत्र दिनांक 16.08.2017 के अनुरूप विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत स्ट्रक्चरल ड्राइंग डिजाइन व भूकम्प विरोधी प्रमाण पत्र को शासकीय तकनीकी संस्थान के स्ट्रक्चरल इंजीनियर के प्रोफेसर से प्रति हस्ताक्षरित कराकर 15 दिन के अन्दर अवश्य प्रस्तुत कराना होगा। उल्लंघन की दशा में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विकासकर्ता का होगा।
16 यदि भविष्य मे ऐसी कोई बात प्रकाश मे आती है कि विकासकर्ता द्वारा कोई तथ्य छुपा कर मानचित्र की स्वीकृति प्राप्त की गई है अथवा किसी प्रतिबन्ध का अनुपालन नही किया जा रहा है, तो मानचित्र स्वतः निरस्त माना जाएगा।

भवन मानचित्र उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 के अन्तर्गत इस प्रतिबन्ध सहित स्वीकृत किया जाता है कि विकास प्राधिकरण भूमि विषयक स्वामित्व के लिए विधता बाध्य नहीं है।

कार्यालय विकास प्राधिकरण
स्वीकृत
परमिट संख्या 41815
दिनांक 21-07-2017
स्वीकृत की वैधता ति. 20-07-2022
अधिशासी
विकास क्षेत्र, लखनऊ

SUBMISSION DRAWING

NOTES:
1. BUILDING IS DESIGNED(STRUCTURES) AS PER RELEVANT IS CODES FOR EARTH QUAKE RESISTANCE.
2. MECHANICAL VENTILATION SYSTEM PROVIDED AS/NBC IN BASEMENT

PRINCIPLE ARCHITECT

dfi
DESIGN FORUM INTERNATIONAL
K-47 , KAILASH COLONY NEW DELHI-48
PHONE: 011 - 46556600 FAX : 46556601

CONSULTANTS
STRUCTURE - BMSF Design Consultants Pvt. Ltd.
MEP - Consummate Engineering Services Pvt. Ltd.

OWNER'S SIGNATURE

ARCHITECT'S SIGNATURE

Ar. Devendra Pratap Singh CA/2012/57857 B.Arch. A.I.I.A.

पत्र सं० [illegible] 28378/[illegible] दिनांक [illegible] की शर्तों के अनुरूप अनुमोदित किया गया।
संयुक्त निदेशक (पी०)
फायर सर्विस मुख्यालय
उ० प्र०, लखनऊ

मुख्य अग्निशमन अधिकारी, लखनऊ/
उप निदेशक, फायर सर्विस परिक्षेत्र,
लखनऊ/फैजाबाद

PROJECT:

PROPOSED GROUP HOUSING-2 AT KHASRA NO. 439,440,441,442,443 AND PART OFKHASRANO.-153,154,436,438,444,445,446, 448,449,465,466,467 IN OMAXE INTEGRATED TOWNSHIP AT SULTANPUR ROAD, LUCKNOW.

AJAY SAHNI
(M. Tech. Structures)
I.I.T., New Delhi
A 531925-1

DRAWING TITLE:

TOWER- C1 & C4
SECTIONS - XX

(शिवनाथ यादव)
अग्निशमन अधिकारी
गोमती नगर, लखनऊ

	SCALE 1:150	DWG. NO.
	DATE 24-08-2016	14